339

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2012/निगरानी — 2221-II/12

रविन्द्र मोहन नामदेव पुत्र श्री रामगोपाल जी नामदेव 218, मेन रोड़ ओरछा तेहसील ओरछा जिला टीकमगढ़

——— आवेदक

बनाम

(1) म0प्र0 शासन जर्ये कलेक्टर टीकमगढ म0प्र0
(2) राजस्व निरीक्षक मण्डल ओरछा जिला टीकमगढ म0प्र0

——— अनावेदकगण

श्री एस० के० श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 17-7-12 को प्रस्तुत
17-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.10.2011 पारित द्वारा तेहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 01/अ—12/11—12

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

S.K. Srivastava 16-7-12

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, प्रकरण कमांक 47/अ—12/2002—03 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2005 के द्वारा आवेदक रविन्द्र मोहन नामदेव के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 487/1 सीमांकन न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय ओरछा द्वारा किया गया उसी स्वीकृत सीमांकन के आधार पर आवेदक रविन्द्र मोहन नामदेव ने श्री मनोज कुमार सोनकिया के हित में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2010 को सम्पादित किया एवं विधिवत कब्जा दिया नामान्तरण की कार्यवाही लंबित है।

(2) यहकि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय ओरछा में एक प्रकरण कमांक—1/अ—12/2011—12 पर पंजीबद्ध किया जिसमें तहसीलदार ओरछा ने राजस्व निरीक्षक ओरछा को सीमांकन

18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2221-तीन/2014 जिला-टीकमगढ़

रविन्द्र मोहन विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार, तहसील धुवारा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-10-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये 09/1/19 (आर.के. जैन) सदस्य	